पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना

बिहार सरकार

# मानव–हाथी द्वन्द पर नियंत्रण हेतु

## (Standard Operating Procedure)

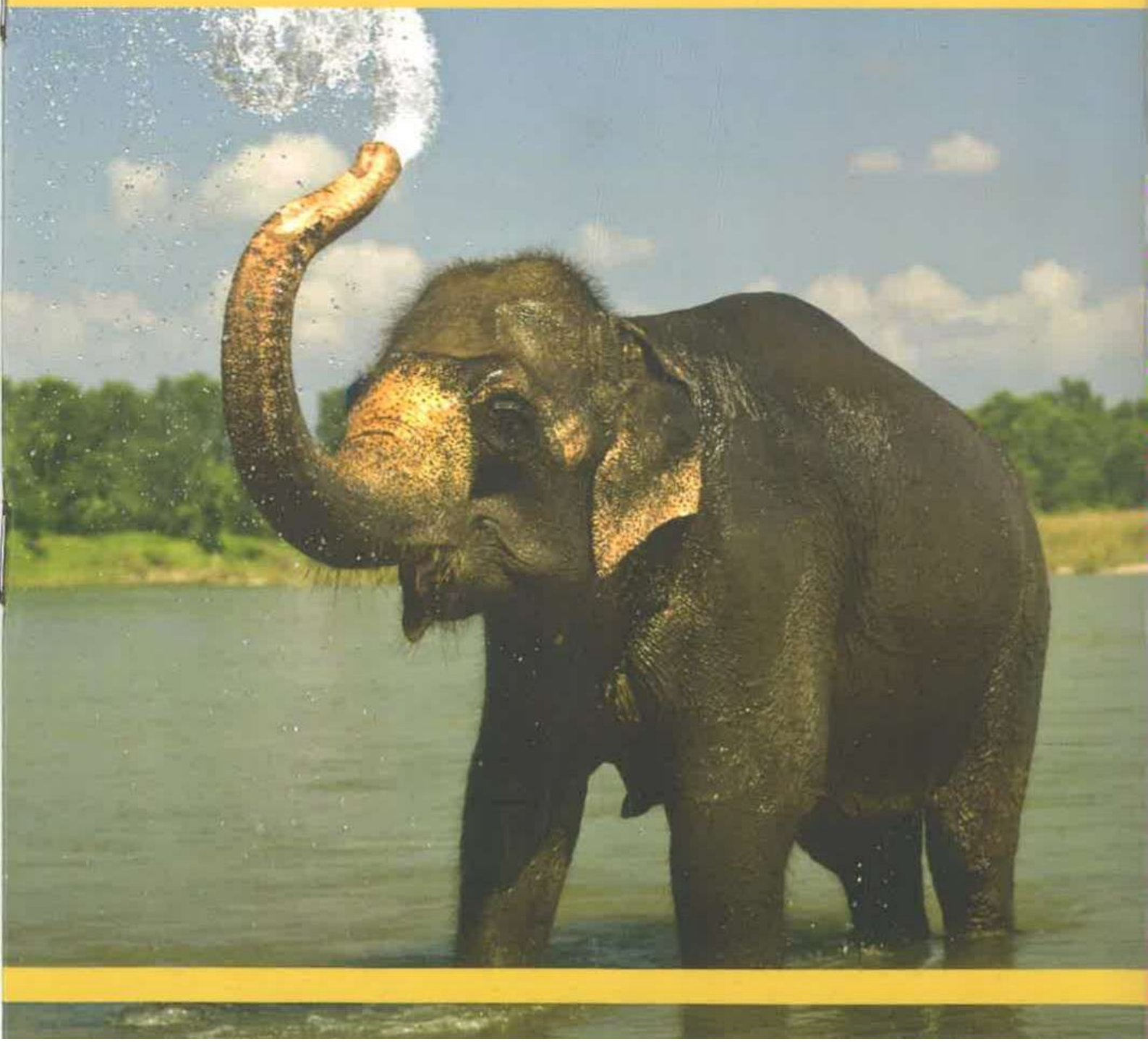

# मानव–हाथी द्वन्द पर नियंत्रण हेतु

**पृष्ठभूमि :**

एशियन हाथी (Elephas maximus) एक विशालकाय वन्यजीव है। यह वनों के अन्दर स्वतंत्र रूप से झूंड में रहता है और साथ ही पालतू वन्यजीव के रूप में भी लोगों द्वारा बड़े चाव से रखा जाता है। इस जीव का विशालकाय शरीर, ऊँचाई, चतुरता एवं विविध सामाजिक व्यवहार लोगों का ध्यान स्वतः आकृष्ट करता है। हाथी का उपयोग सदियों से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्सवों एवं समारोह में करने की परम्परा रही है। वन क्षेत्रों में इससे लकड़ी ढुलवाने में किया जाता है। पुराने जमाने में युद्ध में हाथी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके साथ ही इनका उपयोग जंगली हाथी को पकड़ने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने में भी किया जाता था। वर्त्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान एवं आश्रयणियों में गश्ती कार्य के साथ पर्यटन में भी इनका उपयोग किया जाता है।

**2. बिहार राज्य में हाथी की स्थिति :**

बिहार के वनों में हाथी नहीं है परन्तु राज्य के निवासियों, चिड़ियाघर एवं वाल्मीकिनगर व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में पालतू हाथी हैं। हाल में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 70 पालतू हाथी पाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

**3. हाथी की वैधानिक स्थिति :**

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत यह संरक्षित वन्यजीव है। इसका स्थान अनुसूची–I में है।

**4. राज्य में मानव–हाथी द्वन्द की स्थिति :**

यद्यपि राज्य के वनों में हाथी नहीं है, परन्तु ये यदा–कदा पड़ोसी देश नेपाल से पश्चिमी चम्पारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार पड़ोसी राज्य झारखण्ड से बांका, जमुई, भागलपुर, पूर्णियाँ एवं मधेपुरा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में आने का सिलसिला आरम्भ हुआ है। वन क्षेत्रों में प्रवेश से जहाँ कम परेशानी आती है वही आबादी वाले क्षेत्र में आने से जानमाल की भारी क्षति की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में फरवरी से अगस्त महीने के बीच राज्य में कुल 15 लोगों की मृत्यु हाथी से हुई है।

**5. मानव–हाथी द्वन्द से संबंधित आँकड़े :**

देश में औसतन 350–400 व्यक्तियों की मृत्यु प्रतिवर्ष हाथी से होती है और लगभग 3000 व्यक्ति घायल होते हैं।

- प्रतिवर्ष एक लाख किसान प्रभावित।
- 20,000 के लगभग घर तोड़े जाते हैं।
- वाहन, दीवार, फेंस, पाईप लाईन, बिजली पोल उखाड़ने, क्षतिग्रस्त करने की घटना।
- सड़कों पर मार्ग अवरूद्ध करना।
- 22 राज्यों के 140 जिले इस समस्या से परेशान हैं।
- मानव–वन्यजीव द्वन्द में हाथी का द्वन्द सबसे खतरनाक एवं बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में आने वाला होता है। सभी प्रभावित राज्य अपने–अपने तरीके से नियंत्रण के लिए कार्य कर रहे हैं।

**6. बिहार की स्थिति :**

बिहार में विगत वर्ष तक मानव–हाथी टकराव कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं थी। नेपाल एवं झारखण्ड से आने वाले हाथी प्रायः बेतिया एवं बांका के जंगलों में आते थे और कुछ दिन रहने के उपरान्त वापस अपने मूल अधिवास में लौट जाते थे। हाथी को मूल अधिवास में भेजने के लिए परम्परा ड्रम पीटना एवं आग जलाना ही काफी होता था। परन्तु हाथी अब एकल या झुंड में वनों के बाहर के आबादी वाले क्षेत्रों में वहाँ चारा–पानी की प्रचूरता को देखकर आकर्षित होने लगे हैं।

इस प्रकार की घटना में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः राज्य में इस समस्या पर नियंत्रण के लिए स्थाई व्यवस्था एवं मानक दिशा–निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है।

**7. मानव–हाथी टकराव पर नियंत्रण के उपाय :**

- हाथी को डराकर खदेड़ना–भगाना।
- प्रभावित क्षेत्र के लोगों में पटाखा–किरोसीन, सर्च लाईट बंटवाना।
- हाथी भगाने वाला प्रशिक्षित टीम तैयार करना।
- प्रशिक्षित हाथी (कोंकी) की सहायता लेना।
- हाथी आने के रास्ते में इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ट्रैंच एवं दीवाल बना देना।
- पागल हाथी को मारना।
- समस्या पैदा करने वाले हाथी की पहचान कर उसे पकड़कर अन्यत्र उनके मूल अधिवास में भेजना।
- समस्या वाले हाथी को पकड़कर पालतु बनाना।
- प्रभावित परिवारों को अनुदान–सहाय्य राशि का भुगतान।

**8. HEC प्रबंधन की सामान्य बातें :**

1. बिहार राज्य में इस समस्या का कोई फुलप्रूफ समाधान नहीं है क्योंकि समस्या की जड़ नेपाल एवं

झारखंड में है।

2. समस्या को जड़ से नहीं समाप्त किया जा सकता है अपितु इसे सही तरीके से नियंत्रित कर मानव, पशु, फसल एवं अन्य सम्पत्ति की क्षति को कम किया जा सकता है।
3. समस्या को देखकर कई प्रकार की रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। सभी हाथी एक ही तरह के नहीं होते हैं। कुछ स्वभाव से ही खतरनाक एवं मनुष्यों को मारने वाले, कुछ केवल फसल खाने वाले, आदतन घर तोड़ने वाले या कभी–कभार घर तोड़ने वाले होते हैं। अतः समस्या की पहचान कर अलग–अलग निर्णय लेने होते हैं। स्टीरियो टाईप कार्रवाई सभी मामले में नहीं करनी चाहिए।
4. हाथी चतुर जानवर होता है। यह मनुष्य द्वारा किये गये उपाय को पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार कर दुबारा समस्या पैदा करता है, परन्तु मनुष्य उससे भी चतुर है जो हाथियों के बदले व्यवहार को देखकर अपनी रणनीति में बराबर परिवर्त्तन कर सकता है।

## खण्ड–2

## Operational Guidelines

मानव–हाथी द्वन्द पर नियंत्रण के लिए कोई फूल प्रूफ तरीका निर्धारित नहीं है। विभिन्न राज्यों में वहाँ की समस्या के आधार पर भिन्न–भिन्न तरीके अपनाये जाते हैं। उनका अध्ययन कर एवं इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से विस्तार से विचार–विमर्श कर यह मानक दिशा–निर्देश तैयार किया गया है। इसके अनुसार कार्रवाई करने पर इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

इस मानक दिशा–निर्देश के निम्नलिखित नौ भाग हैं :–

1. संस्थागत व्यवस्था।
2. मानव–हाथी द्वन्द के सामान्य सिद्धांत।
3. हाथी आने के बाद की जाने वाली कार्रवाई।
4. हाथी प्रभावित क्षेत्रों का प्रबंधन।
5. प्रचार–प्रसार एवं जनजागरूकता कार्यक्रम।
6. हाथी को पकड़ने के लिए दिशा–निर्देश।
7. हाथी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए दिशा–निर्देश।
8. हाथी को मारने हेतु दिशा–निर्देश।
9. अन्यान्य।

### (1) संस्थागत व्यवस्था :

1. राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक | – अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक | – सदस्य |
| 3. | मुख्य वन संरक्षक (आई०टी०) | – सदस्य |
| 4. | निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण | – सदस्य |
| 5. | अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) | – सदस्य |
| 6. | गृह विभाग के प्रतिनिधि | – सदस्य |
| 7. | ऐरावत संस्था, पटना के प्रबंध न्यासी | – सदस्य |
| 8. | वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना | – सदस्य सचिव |

**समिति के कार्य :**

1. मुख्यालय एवं जिला स्तरीय वन पदाधिकारी के बीच सूचना का त्वरित प्रभावी आदान–प्रदान।
2. पड़ोसी देश/राज्य, अन्य सरकारी विभाग, संस्था, मिडिया से समन्वय एवं सहायता प्राप्त करना।
3. प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम का आयोजन।
4. डार्टिंग गन, दवा, डार्टिंग विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त करना।
5. प्रशिक्षित हाथी प्राप्त करना।
6. HEC का रेकर्ड अद्यतन कर, अनुदान के लिए निधि की व्यवस्था एवं आवंटन।

### (2) जिला स्तरीय समिति का गठन :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला पदाधिकारी | – अध्यक्ष |
| 2. | पुलिस अधीक्षक | – सदस्य |
| 3. | जिला पशुपालन पदाधिकारी | – सदस्य |
| 4. | सिविल सर्जन | – सदस्य |
| 5. | जिला कृषि पदाधिकारी | – सदस्य |
| 6. | मानद वन्यजीव प्रतिपालक | – सदस्य |
| 7. | स्थानीय स्वयंसेवी संस्था | – सदस्य |
| 8. | मिडिया प्रतिनिधि | – सदस्य |
| 9. | स्थानीय विधायक या उनके प्रतिनिधि | – सदस्य |
| 10. | वन प्रमंडल पदाधिकारी | – सदस्य सचिव |

**समिति के कार्य :**

1. जिले में हाथी आने की घटना की विवरणी तैयार करना।
2. हाथी का कोरिडोर निर्धारण एवं पहचान।
3. स्थानीय स्तर पर मानव–हाथी द्वन्द रोकने के उपाय करना।
4. जानमाल की क्षति की जाँच कर मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को प्रतिवेदित करना।
5. हाथी द्वारा क्षति को देखते हुए हाथी को श्रेणीबद्ध

करते हुए इसे मारने, पकड़ने अथवा पकड़कर उनके अधिवास में भेजने हेतु प्रस्ताव तैयार कर मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को भेजना एवं उनके आदेशानुसार इसे कार्यान्वित करना।

6. जिले में सरकारी अनुदान, सहाय्य राशि भुगतान का प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को भेजना एवं निधि प्राप्त कर प्रभावित परिवार को राशि उपलब्ध कराना।
7. अन्य सरकारी विभाग, मीडिया, संस्थाओं से सहयोग कर समस्या पर नियंत्रण करना।
8. त्वरित बचाव दल (Quick Response Team) टीम पर नियंत्रण एवं मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों के कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
9. HEC से संबंधित प्रशिक्षण, क्षमतावर्द्धन का कार्य करना एवं जनजागरूकता अभियान चलाना।
10. आवश्यकता पड़ने पर शूटर को बुलाकर अथवा हाथी को डार्ट करने वाले से डार्ट करना एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक के आदेशानुसार कार्य करना।

**(3) जिला स्तर पर किए जाने वाले अन्य कार्य :**

- वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत् प्रभावित क्षेत्र के प्रभावशाली ऐसे व्यक्तियों को जो समस्या से निपटने में सहायता करने योग्य हो, को मानद वन्यप्राणी प्रतिपालक के रूप में चयन की अनुशंसा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को करना।
- QRT (त्वरित कार्यबल) गठित कराना एवं इसके अन्तर्गत स्थानीय युवकों की स्थानीय QRT तैयार करना। इसमें वन क्षेत्रों में समिति के सदस्य या उनके द्वारा नामित व्यक्ति तथा अन्य क्षेत्रों में पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति को रखा जायेगा।
- प्रभावित क्षेत्र में पंचायतवार छोटी–छोटी टीम तैयार करना एवं इनके पता–सम्पर्क नम्बर को सार्वजनिक कर सभी संबंधित टीम को देना।
- जिला स्तर पर हाथी के (Behavior) व्यवहार को समझने वाले पशु चिकित्सक को प्रशिक्षण दिलाकर तैयार रखना।
- समस्या वाले जिले में पालतू हाथी एवं इसके महावत को चिहिन्त कर उन्हें प्रशिक्षित कर आपातकाल में उनका सहयोग लेना।

**(4) QRT एवं स्थानीय स्तर के टीम का प्रशिक्षण :**

- हाथी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सभी सामान, उपकरण, ट्रैंक्यूलाईजिंग गन, दवा आदि की व्यवस्था एवं इसकी जानकारी उपलब्ध कराना।
- डार्ट करने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना।
- प्रशिक्षण एवं रिहर्सल की व्यवस्था करना।
- टीम के सदस्यों को हाथी का व्यवहार, इसकी आवश्यकता आदि की पूरी जानकारी दिया जाना।
- इन्हें इनके कार्य, उत्तरदायित्व एवं शक्ति की पूरी जानकारी दिया जाना।
- इन्हें क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति एवं गाँव, पंचायत, प्रखंड, सड़क, रेलमार्ग, नदी आदि की पूरी जानकारी देकर क्षेत्र विशेष के लोगों से मेलजोल कराना।

**2. मानव–हाथी द्वन्द प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतः**

1. मानव–हाथी द्वन्द प्रबंधन में हाथी के मूल अधिवास स्थल की सुरक्षा एवं प्रबंधन अतिआवश्यक होता है। इसी के साथ–साथ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार कर उनकी सहनशीलता का स्तर बढ़ाना है।
2. सामान्य परिस्थिति में हाथी के आने पर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उसे उसके रास्ते जाने देना चाहिए एवं QRT द्वारा परम्परागत तरीके से उसके अधिवास में वापस भेजने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षित हाथी एवं महावत की सहायता लेना श्रेयस्कर होगा।

   हाथी स्वभाव से डरपोक एवं मनुष्यों की आबादी से दूर रहने वाला जानवर है। रास्ता भटककर या अन्य कारणों से अपने अधिवास से बाहर आ जाने पर यह तनाव में रहता है। इसके साथ छेड़छाड़ करने, दौड़ाने, हल्ला करने से जानवर आक्रोशित होता है। अतः इनसे बचना चाहिए।
3. हाथी द्वारा मनुष्यों एवं सम्पत्ति की क्षति के प्रत्येक मामले की जाँच विधिवत् वरीय पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाना चाहिए कि दुर्घटना स्वभाववश (deliberated) की गई है या यह सामान्य दुर्घटना (accidental) की श्रेणी में आता है। प्रत्येक केस में शामिल हाथी का स्थानीय पदाधिकारी द्वारा डोजियर बनाकर रखा जाना चाहिए।
4. यदि हाथी जान बूझकर मनुष्यों पर आक्रमण कर उसकी हत्या या उसे गम्भीर रूप से घायल नहीं करता है तो उसे पकड़ने, अन्य जंगलों में भेजने अथवा मारने की आवश्यकता नहीं है।
5. हाथी अगर जान बूझकर एक भी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे पकड़कर Captivity में रखा जाना चाहिए। इस मामले में हाथी को पकड़कर अन्य स्थानों/वनों में नहीं भेजा जाना चाहिए।

6. यदि हाथी जान बूझकर एक से अधिक कई व्यक्तियों पर आक्रमण कर हत्या करता है तो इसे वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा–11 के तहत हत्यारा घोषित कर मारा जाना चाहिए।
7. हाथी द्वारा घरों एवं फसलों को तोड़ने या क्षति पहुँचाने की स्थिति में उन्हें न तो मारा जायेगा, न ही पकड़ा जायेगा और न हीं पकड़कर अन्यत्र भेजा जायेगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्त्ति के भुगतान की व्यवस्था की जायेगी तथा प्रशिक्षित हाथी अथवा त्वरित बचाव दल द्वारा इसे इसके मूल अधिवास में भेजने की कार्रवाई की जायेगी।

   परन्तु स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाने एवं गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने पर वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–12 के तहत भारत सरकार से इसे पकड़कर इसके मूल अधिवास में छोड़ने की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

**3. हाथी आने के बाद, की जानेवाली कार्रवाई :**

1. हाथी आने की सूचना क्षेत्र विशेष के गाँवों में तुरन्त प्रचारित–प्रसारित कर लोगों को सावधान करना। यह कार्य लगातार चलते रहेगा। स्थानीय टीम द्वारा यह कार्य किया जायेगा। इसमें मोबाईल फोन या माईक का उपयोग किया जायेगा।
2. स्थानीय टीम द्वारा जिला स्तरीय टीम को सूचना देकर QRT को बुलाना तथा प्रशिक्षित हाथी एवं महावत को तुरंत बुलाना।
3. सामान्य परिस्थिति में हाथी को उनके रास्ते पर जाने देना। किसी प्रकार से हाथी को परेशान नहीं करना (हल्ला करना, भीड़ जुटाना, ढेला–पत्थर, तीर मारना, पटाखे चलाना आदि)।
4. हाथी के व्यवहार का परीक्षण करना एवं पूर्व के रिकार्ड एवं अनुभव के आधार पर यह निर्धारित करना कि यह सामान्य भटका हाथी है, नर है कि मादा, झुंड से बिछड़ा हुआ है या रास्ता भटक गया है या मस्त है। इसके व्यवहार से स्पष्ट हो जायेगा कि इसे सामान्य परम्परागत तरीके से वापस भेजा जा सकता है या नहीं।
5. अगर मनुष्यों को लगातार मारे जाने की घटना हो रही है – दौड़ा–दौड़ाकर मार रहा हो तो इसे आदतन हत्यारा घोषित कर मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक से इसे मारने का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

   Accidental death यानि कोई रास्ते में आ गया हो और चापा पड़ जाग, फोटो खींचने के समय मार दे, कोई लाठी–भाला से हाथी पर हमला करे और हाथी मार दे, कोई सामने पूजा करने या प्रसाद–अनाज खिलाने जाय और हाथी उसे मार दे तो ऐसे केस Accidental death माने जायेंगे एवं इनमें हाथी को मारने का आदेश नहीं दिया जा सकेगा। हाथी को वापस उनके मूल अधिवास में भेजने की कार्रवाई की जायेगी।
6. स्थान विशेष पर हाथी से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं हो। कार्रवाई का निर्णय टीम लीडर द्वारा स्थानीय लोगों की सहन शक्ति एवं हाथी से संभावित खतरे को देखते हुए लिए जाने चाहिए।
7. समस्या पैदा करने वाले हाथी को कैद करना अथवा पकड़कर उनके अधिवास में स्थानान्तरित करने का निर्णय तभी लिया जा सकेगा, जब कोई सक्षम पशु चिकित्सक प्रमाणित करे कि हाथी को कोई गम्भीर बीमारी नहीं है और वह medically fit है। गम्भीर बीमारी और नहीं भरने वाले घाव रखने वाले हाथी को मार दिया जायेगा। इसके लिए मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक की अनुमति वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–11 के तहत अनिवार्य होगा।
8. यदि वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा तैयार डोजियर से यह ज्ञात होता है कि कोई हाथी विशेष बार–बार अपने अधिवास क्षेत्र से बाहर आकर जानमाल की क्षति दुर्घटनावश करता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक की अनुमति प्राप्त कर इसे पकड़कर इनके अधिवास क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जायेगा।

   Translocation के लिए उचित अधिवास नहीं मिलने की स्थिति में इसे Capture कर Captivity में हाथी बचाव–केन्द्र में रखा जायेगा।
9. जो हाथी केवल घर–फसल या अन्य सम्पत्ति की बर्बादी करता है उसे न तो Capture किया जायेगा, न अन्यत्र भेजा जायेगा और न हीं मारा जायेगा। क्योंकि वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा में ऐसा प्रावधान नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए उसे परम्परागत तरीके से भगाया जायेगा एवं क्षतिपूर्त्ति राशि प्रभावित लोगों को दी जायेगी। यदि बार–बार घटना हो रही है तो प्रभावित संवेदनशील स्थानों को पावर फेंसिंग या बड़े ट्रैंच बनाकर सुरक्षित किया जायेगा।

   विशेष परिस्थिति में समस्या गम्भीर होने पर एवं लोगों में आक्रोश का स्तर नियंत्रण से बाहर हो जाने पर अधिनियम की धारा–12 के तहत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर इसे Capture या Translocate किया जा सकेगा।

**4. हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोगों का प्रबंधन :**

HEC को कम करने के लिए स्थानीय लोगों के विश्वास अर्जित करना अत्यन्त आवश्यक होता है। उनके सहयोग से ही इस समस्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके तहत पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान एवं अन्य कार्य निम्नवत् चलाया जायेगा :–

1. प्रभावित क्षेत्र में छोटी–छोटी विचार गोष्ठी कर लोगों विशेषकर महिलाओं को जंगली हाथी के व्यवहार, उनकी आवश्यकता एवं हाथी आने पर सूचनाओं का आदान–प्रदान, की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी जायेगी। ऐसी बैठके पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर होगी जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों के पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।
2. इस प्रकार की बैठकों में पूर्व में जंगली हाथी के आने एवं जानमाल की हानि की जानकारी देकर अब पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहने हेतु लोगों को जागरूक किया जायेगा। हाथी आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, की भी जानकारी दी जायेगी।
3. हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच पम्पलेट बांटकर, क्षेत्र विशेष में होर्डिंग लगाकर भी जानकारी दी जायेगी एवं जागरूक किया जायेगा।
4. वास्तविक रूप से हाथी आने पर हाथी के आगे–पीछे लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो, इसके लिए पहल से प्रचार–प्रसार किया जायेगा। क्षेत्र विशेष में पुलिस प्रशासन की सहायता ली जायेगी। भीड़ पर नियंत्रण अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है। यदि भीड़ नियंत्रण से बाहर होने लगे तो हाथी के कोरीडोर वाले क्षेत्र में प्रशासन से धारा–144 लागू करने की उद्घोषणा की जायेगी।
5. प्रभावित क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान कर उनके साथ मानद वन्यप्राणी प्रतिपालक को लगाकर लोगों को समझाने एवं भीड़ नियंत्रण में सहयोग लिया जाय।
6. स्थानीय संगठन, गैर सरकारी संस्था, प्रशासन एवं पुलिस, पंचायत प्रतिनिधियों की सेवा भी इस कार्य में ली जा सकती है।
7. जिन क्षेत्रों में विभाग की संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ गठित हैं, वहाँ उनकी सेवा ली जाये।
8. हाथी को डार्ट करने के पूर्व उसके विभिन्न भागने वाली दिशाओं के आबादी को सतर्क कर घर के भीतर रहने के उपाय करें। हाथी के भागने के रास्ते में आने वाले व्यक्ति कुचले जायेंगे। अतः रास्तों पर पुलिस एवं विभाग के प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

**9. प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को सहायता एवं सहाय्य राशि का भुगतान :**

1. प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को हुए क्षति के विरूद्ध देय सहाय्य राशि का भुगतान बगैर किसी पेरशानी के, बगैर विलम्ब के पारदर्शी तरीके से कराया जाय।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा घटना / दुर्घटना के अधिकतम दो सप्ताह के अन्दर नियमानुसार छानबीन कर सहाय्य राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। परन्तु हाथी द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में घटना के 24 घंटे के अन्दर देय सहाय्य राशि का 25 प्रतिशत प्रभावित व्यक्ति / परिवार को भुगतान निश्चित रूप से किया जायेगा।
3. स्थानीय टीम एवं QRT द्वारा प्रभावित व्यक्ति परिवार को क्लैम तैयार करने एवं सहाय्य राशि प्राप्त करने में हरसम्भव सहायता दी जायेगी।
4. वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास पूरे वर्ष एक निश्चित राशि, प्रभावित व्यक्ति / परिवार को तुरन्त भुगतान के लिए उपलब्ध रखी जायेगी।
5. जिला स्तरीय समिति प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को देय सहाय्य राशि के भुगतान की समय–समय पर समीक्षा करेगी।
6. यदि मानव–हाथी द्वन्द के कारण लोगों की भारी क्षति हुई है तो अन्य विभागों विशेषकर जिला प्रशासन से भी उनकी निधि से अतिरिक्त सहायता दिलाने हेतु कार्रवाई की जायेगी।
7. घायल व्यक्तियों को नजदीक के अस्पताल ले जाने की व्यवस्था, उनके उचित इलाज की व्यवस्था भी QRT/स्थानीय टीम द्वारा बगैर विलम्ब के की जायेगी।
8. मेडिकल विपत्र / खर्च का भुगतान सम्बन्धित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कराया जायेगा। हर हालत में घायल व्यक्तियों को अच्छी मेडिकल सुविधा प्रदान की जायेगी।
9. प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उनके जीवन एवं सम्पत्ति के लिए बीमा कभर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
10. QRT एवं स्थानीय टीम के सदस्यों का दुर्घटना बीमा निश्चित रूप से वन विभाग को कराना चाहिए।

इन उपायों से प्रभावित क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतने में सहायता मिलेगी एवं समस्या पर नियंत्रण में आसानी होगी।

**5. प्रचार–प्रसार एवं जनजागरूकता कार्यक्रम :**

1. प्रचार–प्रसार का मुख्य उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहन शक्ति को आवश्यक जानकारी देकर बढ़ाना एवं समस्या पर नियंत्रण पाने में उनका सहयोग प्राप्त करना है।
2. यह कार्य पर्चा, पम्फलेट, होर्डिंग, रेडियो, टी०भी०, वार्त्ता, समाचार पत्र विज्ञापन के माध्यम से किया जायेगा, परन्तु व्यक्तिगत सम्पर्क, विचारगोष्ठी, छोटी–छोटी बैठक का परिणाम सकारात्मक होता है।
3. इस कार्य के लिए QRT एवं स्थानीय स्तर की टीम के साथ–साथ मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होता है, ताकि वे लोगों को ठीक तरीके से जानकारी दे सकें एवं उनका सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकें।
4. इस कार्य में अन्य विभागों के लोगों को, स्थानीय मीडिया, गैर सरकारी संस्था, जनप्रतिनिधियों, पुलिस पदाधिकारियों, वन पदाधिकारियों को लगाया जा सकता है।

**हाथी से लोगों की मृत्यु को रोका जाना**

1. हाथी आने के रास्ते में नशे में आ जाना।
2. हाथी के आने की जानकारी नहीं रहने पर अचानक रास्ते में आ जाना।
3. पर्यटक, अतिथि, शौकिया फोटोग्राफर अनजान चपेट में आते हैं।
4. हाथी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी अति आत्मविश्वास में मारे जाते हैं।
5. जंगल के अन्दर जानवर चराने वाले, घास काटने वाले, जलावन संग्रहण करने वाले दुर्घटना के शिकार होते हैं।
6. हाथी को जान बूझकर परेशान करने वाले, दौड़ाने वाले आदमियों पर हाथी उत्तेजित कर हमला करता है।
7. हाथी द्वारा पीछा करने के दौरान मनुष्य मारा जाता है।
8. मकान को तोड़ने के दौरान मकान के अन्दर के लोग मारे जाते हैं।
9. जिन मकानों में महुआ रखी जाती है या शराब की भट्टी रहती है, वहाँ हाथी का आक्रमण ज्यादा होता है और उन मकानों में ज्यादा खतरा रहता है।
10. हाथी से प्रभावित क्षेत्र या उसके रास्ते में महिलाएँ शौच के लिए घर के बाहर जाती है और हाथी के आक्रमण से उनकी मौत हो जाती है। इससे बचने की लिए प्रभावित क्षेत्र में घर के पास पक्का शौचालय बनना चाहिए एवं खुले शौच से बचना चाहिए।
11. हाथी को भगवान गणेश के रूप में पूजा की परम्परा है। पालतू हाथियों को लोग/ महिलाएँ/बच्चे अपने हाथों से फल/लड्डू/ अनाज खिलाते हैं। यही कार्य भूलवश जंगली हाथी के साथ भी कभी कभार कर बैठते हैं और जंगली हाथी का शिकार हो जाते हैं।

इन सभी कारणों का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं लोगों को समय–समय पर जंगली हाथी के उग्र व्यवहार से परिचित कराकर हटाया जा सकता है और लोगों की दुर्घटनावश होने वाली मृत्यु को रोका/ कम किया जा सकता है।

**6. हाथी को पकड़ने के लिए दिशा–निर्देश :**

1. हाथी को नियंत्रण में करने के लिए ट्रैंक्यूलाईजिंग विधि उत्तम है। इसके लिए प्रशिक्षित हाथी की सहायता ली जानी चाहिए। इसके पीछे बैकअप सहायता के लिए अनुभवी शूटर की टीम रहनी चाहिए। ट्रैंक्यूलाईजिंग का कार्य कभी भी रात में नहीं किया जाना चाहिए। हाथी को डार्ट करने के उपरान्त प्रशिक्षित हाथियों की सहायता से खींचकर हाथी के सुरक्षित आवासन स्थल तक लाया जा सकता है।
2. डार्ट करने पर हाथी या तो स्थिर हो जाता है या उसके देह का तापमान बढ़ जाने से पानी की खोज में बेतहाशा भागता है इसलिए डार्टिंग के पूर्व इन बातों का ध्यान रखते हुए आवश्यक उपाय किया जायेगा।
3. समस्या पैदा करने वाले हाथी की पहचान विगत वर्षों के डोजियर से करने के उपरान्त हाथी की श्रेणी देखकर इसे पकड़ने का निर्णय लिया जाना चाहिए।
4. हाथियों का झुंड जिसमें नर, मादा एवं उनके बच्चे हो, को प्रयास कर पूरे परिवार को पकड़ा जाना चाहिए।
5. इसे बेहोश कर पकड़ लेने के बाद बगैर विलम्ब के इसे नजदीक के कर्णाकित बचाव केन्द्र/चिड़ियाघर/हाथी कैम्प में स्थानान्तरित कर इनका प्रशिक्षण आरम्भ किया जाना चाहिए।

**7. हाथी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए दिशा–निर्देश :**

1. स्थानान्तरण के लिए अधिवास का चयन पूर्व में ही किया जाना चाहिए।
2. अधिवास समस्याग्रस्त क्षेत्र से दूर होना चाहिए।
3. वहाँ हाथी के लिए पर्याप्त चारा–पानी एवं इनका या

अन्य हाथियों का अधिवास हो।

4. वहाँ हाथियों की अत्यधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए।
5. यह हाथियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र होना चाहिए।
6. जिन क्षेत्रों में हाथी को छोड़ा जाना है वहाँ के स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही यह कार्य किया जाना चाहिए।
7. पुराने डोजियर से हाथी की पहचान कर इसे श्रेणीबद्ध करने के उपरान्त अधिनियम की धारा–12 के तहत अनुमति प्राप्त कर यह कार्य किया जाना चाहिए।
8. हाथी को पकड़ने, परिवहन करने एवं अन्यत्र छोड़ने का कार्य पूरी पारदर्शिता से की जानी चाहिए। इसका फोटोग्राफ एवं विडियो बनाया जाना चाहिए।
9. स्थानान्तरण के पूर्व हाथी में रेडियोकॉलर लगाया जाना चाहिए एवं इसके मूवमेंट का अनुश्रवण किया जाना चाहिए।
10. यदि हाथी स्थानान्तरण के उपरान्त दुबारा आ जाता है और पुनः क्षति करने लगता है तो ऐसी स्थिति में इसे पकड़कर Captivity में रखा जाना चाहिए।

## 8. हाथी को हत्यारा घोषित कर मारे जाने की प्रक्रिया :

1. समस्या पैदा करने वाले हाथी की पहचान विधिवत् छानबीन कर की जानी चाहिए।
2. हाथी द्वारा मनुष्यों को मारने की घटना को देखते हुए यदि हाथी जान बूझकर आदतन एक से अधिक व्यक्ति को मारता है तो मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को औचित्य एवं साक्ष्य के साथ वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा–11 के तहत इसे हत्यारा घोषित कर मारने का आदेश निर्गत करने का आदेश मांगा जाना चाहिए। यह कर्य वहाँ के वन प्रमंडल पदाधिकारी / वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा।
3. मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक द्वारा अधिनियम की धारा–11 के तहत हाथी को मारने का आदेश निर्गत किया जायेगा। आदेश में मारने का स्थान, मारने के तरीके एवं आदेश की अवधि अंकित की जायेगी।
4. हाथी को मारने के लिए डार्ट कर उसे नियंत्रित करने के उपरान्त इसके पहचान को सम्पुष्ट किया जायेगा।
5. यदि हाथी को गन शॉट से मारना हो तो इसके लिए अनुभवी शूटर को बुलाकर जिनके पास हैभी राईफल (0.450 एवं इससे उपर) हो, आदेश देना चाहिए।
6. यदि निर्धारित अवधि में हाथी नहीं मारा जाता है तो मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को पूरे मामले की समीक्षा कर गुण–दोष के आधार पर आगे का निर्णय लेना चाहिए।

## 9. अन्यान्य :

## सारांश :

1. मानव–हाथी द्वन्द को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है परन्तु इसपर नियंत्रण पाया जा सकता है।
2. इसपर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई प्रकार की रणनीति समस्या को देखकर बनाने की आवश्यकता होती है।
3. वन विभाग में क्षमताबर्द्धन बहुत ही आवश्यक है।
4. विभाग में मानव संसाधन का नियोजन, पर्याप्त आवश्यक तकनीकि उपकरण एवं संयत्र एवं सामग्री की व्यवस्था।
5. वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था।
6. लोगों का सहयोग एवं अन्य विभागों, संस्थाओं, मीडीया से सकारात्मक समन्वय।

अन्त में दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सक्षम नेतृत्व। इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाने में सहयोगी भूमिका निभाता है।

प्रकाशक :
**संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना**
P.O. - G.P.O., पटना-800 001 ( बिहार )
सम्पर्क : 0612-2217455
ईमेल- patnazoo@yahoo.com
website - www.zoopatna.com
© Sanjay Gandhi Biological Park, Patna